2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by artistes or sportspersons if the visit to that State is substantially supported directly or indirectly by public funds of the other Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. In such circumstances such income shall be taxable only in the other State.

Article 18

NON-GOVERNMENT PENSIONS

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State for his past employment may be taxed only in the first-mentioned Contracting State. This provision shall also apply to life annuities paid to a resident of a Contracting State.

2. Pensions and life annuities paid, and other periodical or occasional payments made by a Contracting State, or one of its political subdivisions in respect of insuring personal accidents, may be taxed only in that State.

3. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past employment or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

4. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a

Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

(i) is a national of that State; or

(ii)not being the national of the first-mentioned State, did not become a resident of that State solely for purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

TEACHERS AND STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is a national of a Contracting State and who is present in the other Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that other State, provided that such payments arise from sources outside that other State.

2. Likewise, remuneration received by a teacher or by an instructor who is a national of a Contracting State and who is present in the other Contracting State for the primary purpose of teaching or engaging in scientific research for a period or periods not exceeding two years shall be exempt from tax in

that other State on his remuneration from personal services for teaching or research, provided that such payments arise from sources outside that other State.

3. Remuneration which a student or a trainee who is a national of a Contracting State derives from an employment which he exercises in the other Contracting State for a period or periods not exceeding 183 days in a calendar year in the case of Turkey and 183 days in a financial year in the case of India, in order to obtain practical experience related to his education or training shall not be taxed in that other State.

Article 21

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 22

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where express provisions to the contrary is made in this Agreement.

2. (a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Turkey, India shall allow as deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Turkey, whether directly or by deduction. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, to the income which may be taxed in Turkey.

(b) Where a resident of India derives income which in accordance with the provisions of this Agreement, shall be taxable only in Turkey, India may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is attributable to the income derived from Turkey.

3. Double taxation for the residents of Turkey shall be eliminated as follows:

a) Where a resident of Turkey derives income covered by sub-paragraph (b) which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, Turkey shall exempt such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted.

b) Where a resident of Turkey derives income which in accordance with the provisions of Articles 10, 11, 12, and paragraph 6 of Article 13 of this Agreement, may be taxed in India, Turkey shall allow as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the tax paid in India.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the income-tax computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in India.

Article 23

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. Subject to the provisions of paragraph 4 of Article 10 the taxation of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Agreement.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances or under the same conditions.

4. These provisions shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

Article 24

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States

shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or

will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits or other procedural limitations in the domestic law of the Contracting States, provided that the competent authority of the other Contracting State has received notification that such a case exists within five years from the end of the taxable year to which the case relates.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27

ENTRY INTO FORCE

1. Each Contracting State shall notify to the other the completion of the procedure required as far as it is concerned for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the first day of the following month when the latter of these notifications has been received.

2. Its provisions shall have effect:

a) in Turkey, for taxes with respect to every taxable year beginning on or after the first day of January of the year Nineteen Hundred Ninety-four;

b) in India, for taxes with respect to every previous year beginning on or after the first day of April of the year Nineteen Hundred Ninety-four.

Article 28

TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such case, the Agreement shall cease to have effect:

a) in Turkey, for taxes with respect to every taxable year beginning on or after the first day of January of the year following that in which the notice of termination is given;

b) in India, for taxes with respect to every previous year beginning on or after the first day of April of the year following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto have signed the present Agreement.

Done in duplicate at New Delhi this 31st day of January, 1995 in the Hindi, Turkish and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
Manmohan Singh	[signature]
MANMOHAN SINGH	BEKIR SAMI DACE
MINISTER OF FINANCE	MINISTER OF STATE

Notification No. 10264

F.No.503/1/87-F.T.D.

(N.P. SAHNI)
JOINT SECRETARY OF THE GOVT. OF INDIA.

PROTOCOL

At the time of signing the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income, concluded this day between the Republic of India and the Republic of Turkey, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.

1. <u>**With respect to sub-paragraph (c) of paragraph 1 of Article 3:**</u>

the term "tax" shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty.

2. <u>**With respect to proviso to sub-paragraph (j) of paragraph 2 of Article 5:**</u>

it is understood that an enterprise covered therein will be subject to taxation accordingly and not in accordance with provisions of Article 12 (Royalties and Fees for Technical Services) and Article 14 (Independent Personal Services).

3. <u>**With respect to paragraph 1 of Article 7:**</u>

it is understood that, where an enterprise of a Contracting State has a permanent establishment in the

profits derived from such sales and business activities may be taxed in that other Contracting State as part of the profits of the permanent establishment.

4. **With respect to paragraph 3 of Article 7:**

With regard to a permanent establishment in India, it is understood that, the executive and general administrative expenses incurred outside India which will be allowed as a deduction in determining the profits of the permanent establishment shall be the least of the following amount:

a) an amount equal to 5 per cent of the adjusted total income; or

b) an amount equal to the average head office expenditure; or

c) the amount of so much of the expenditure in the nature of head office expenditure incurred which is attributable to the business of the permanent establishment in India.

In a case where the adjusted total income is a loss, the amount under clause (a) above shall be computed at the rate of 5 per cent of the average adjusted total income. The expressions 'adjusted total income', 'average adjusted total income', 'average head office expenditure' and 'head office expenditure' will have the same meaning as defined in the Indian Income-tax Act, 1961.

5. **With respect to paragraph (1) of Article 23:**

It is understood that the expression "in the same circumstances", refers to taxpayers (individuals, legal persons, partnerships and associations) placed from the point of view of the application of the ordinary taxation laws and regulations, in substantially similar circumstances both in law and in fact.

Amongst other things this means that a national of one of the States, resident of a third State and doing business in the other State will be subjected to the same taxation or requirements connected therewith in that other State to which a national of that other State, resident in a third State and doing business in that other State, is or may be subjected.

6. It is understood that the provisions of this Agreement shall not apply to income derived by a resident of a Contracting State from agricultural activities in the other Contracting State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto have signed the present Protocol.

Done in duplicate at New Delhi this 31st day of January, 1995 in the Hindi, Turkish and English languages, all three texts, being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

Manmohan Singh

MANMOHAN SINGH
MINISTER OF FINANCE

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF TURKEY

BEKIR SAMI DACE
MINISTER OF STATE

Notification No. 10264, dated 3.2.97
F.No.503/1/87-F.T.D.

(N.P. SAHNI)
JOINT SECRETARY OF THE GOVT.OF INDIA.

F.No.503/1/87-FTD
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
FOREIGN TAX DIVISION

***

New Delhi, the 3rd Feb; 1997.

Sub:- Request for assigning Notification No._
DTAA with Turkey.

Three copies of the Notification along with the text of the DTAA with Turkey are enclosed.

2. ITCC is requested to assign Notification Number before it is sent to the Govt. of India Press for publication in the Official Gazette.

Rajat Bansal
(RAJAT BANSAL)
UNDER SECRETARY(FTD)

S.O.(ITCC)

3/2/97

Sh A.R.

Issued Notificate No 10264, dated 3/2/97

3/2/97

भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3, उपखंड (ii)
में दिनांक 3-2-1997 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी, 1997 / 14 माघ, 1918 (शक)

अधिसूचना

(आयकर)

का0आ0 (अ0) चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और तुर्की गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित करार, उक्त करार के अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 1 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए दोनों ही संविदाकारी राज्यों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात् माह फरवरी, 1997 के प्रथम दिन से प्रवृत्त हो गया है :

इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे ।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार
और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

तुर्की गणराज्य की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और तुर्की गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक करार सम्पन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2

शामिल कर

1. यह करार उन सभी करों पर लागू होगा जो कि प्रत्येक संविदाकारी राज्य की ओर से आय पर लगाए जाते हैं, इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि वे किस प्रकार लगाए जाते हैं ।

2. सकल आय अथवा आय के तत्वों पर लगने वाले सभी कर आय पर लगने वाले करों के रूप में माने जाएंगे, जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगने वाले कर उद्यमों द्वारा अदा की गई पगार अथवा वेतनों की सकल राशियों पर लगने वाले करों के साथ-साथ ही पूँजी वृद्धि पर लगने वाले कर भी शामिल हैं ।

3. जिन मौजूदा करों पर विशेष रूप से यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :-

§क§ भारत के मामले में :

§i§ आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;

§जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा§

§ख§ तुर्की के मामले में :

§i§ आय कर §गेलिर वर्गिसी§ ;

§ii§ निगम कर §कुरूम्लार वर्गिसी§ ;

§iii§ आयकर और निगम कर पर लगने वाली कोई लेवी

§जिसे इसके बाद "तुर्किश कर" कहा जाएगा § ।

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो किसी भी संविदाकारी राज्य के द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएं । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए जाते हैं ।

अनुच्छेद - 3

सामान्य टिप्पणियाँ

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

§क§ §i§ "भारत" पद से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल राज्य-क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हों ।

§ii§ "तुर्की" पद से अभिप्रेत है तुर्की गणराज्य का राज्य क्षेत्र जिसमें वह क्षेत्र शामिल है जिसमें तुर्की के कानून लागू हैं, इसके साथ-साथ वह समुद्री क्षेत्र जिस पर अन्तरराष्ट्रीय कानून और तुर्किश कानून के अनुसार तुर्की के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हों;

§ख§ "संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" पदों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार तुर्की अथवा भारत अभिप्रेत है;

§ग§ "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा तुर्किश कर अभिप्रेत है;

§घ§ "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी और कोई अन्य सत्ता शामिल है, जिसे सम्बद्ध संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत कर लगने योग्य एक इकाई माना जाता है;

§ड•§ "कम्पनी" पद से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई भी सत्ता अभिप्रेत है जिसे सम्बद्ध संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत कोई कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता हो ;

§च§ "पंजीकृत कार्यालय" पद से वही अर्थ होगा जो प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत होगा;

§छ§ "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यष्टि और कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत उस संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो ;

§ज§ " एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

§झ§ "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

§i§ भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय §राजस्व विभाग§ अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

§ii§ तुर्की के मामले में वित्त मंत्री अथवा उसका कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

§ञ§ "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है, किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किसी वायुयान अथवा जलयान द्वारा किया गया कोई भी परिवहन, उस स्थिति को छोड़कर जब ऐसे जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ।

2• जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का जो उसमें परिभाषित नहीं है, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो तब तक वही अर्थ होगा, जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिनपर यह करार लागू होता है ।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1• इस करार के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, कानूनी मुख्य कार्यालय §पंजीकृत कार्यालय§, प्रबंध स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है ।

2• जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

§क§ उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हों §महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र§ ;

§ख§ यदि उस राज्य को, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं निश्चित नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता है;

§ग§ यदि वह आदतन दोनों संविदाकारी राज्यों में रहता है अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है;

§घ§ यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी करार के अनुच्छेद 25 के अनुसार पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" पद से अभिप्रेत है कारोबार का वह निश्चित स्थान जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

§क§ प्रबंध का कोई स्थान ;

§ख§ कोई शाखा ;

§ग§ कोई कार्यालय ;

§घ§ कोई कारखाना ;

§ड·§ कोई कार्यशाला ;

§च§ कोई खान, तेल अथवा गैस कोई कुआं, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

§छ§ कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा विदोहन करने के लिए किया जाता हो ;

§ज§ किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार जिसमें अन्यों के लिए भाण्डागारण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हों ;

§झ§ कोई परिसर जिसका प्रयोग विक्रय स्थल अथवा खरीद आदेशों को प्राप्त करने अथवा मंगवाने के लिए किया जाता है ;

{ञ} {i} कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण-कार्य, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप आते हैं, जहां ऐसा भवन-स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप {अन्य ऐसे भवन-स्थलों, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों, यदि कोई हों के साथ} छः महीने से अधिक अवधि के लिए चलता रहता है; अथवा

{ii} जहां ऐसे परियोजनों अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप जो मशीनरी अथवा उपकरण की बिक्री के लिए प्रासंगिक हैं, कम से कम छः माह से अधिक अवधि के लिए जारी रहते हैं, परन्तु परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप के लिए अदा करने योग्य प्रभार मशीनरी और उपकरण के बिक्री मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक है।

बशर्ते कि इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए एक संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम का स्थायी संस्थापन का होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यवसाय का चलाया जाना भी समझा जाएगा यदि वह उस राज्य में खनिज तेलों के पूर्वेक्षण अथवा निष्कर्षण अथवा उत्पादन के संबंध में छः मास या अधिक के लिए सेवाएं प्रदान करता हो अथवा इस्तेमाल की गई अथवा इस्तेमाल करने के लिए संयंत्र और मशीनें उपलब्ध कराता हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, स्थायी संस्थापन पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

{क} किसी उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा कभी-कभार उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;

{ख} केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा कभी-कभार उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना ;

{ग} किसी अन्य उद्यम द्वारा संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना ;

{घ} किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार को कोई निश्चित स्थान रखना ;

{ड.} उद्यम के लिए केवल विज्ञापन देने, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा इसी प्रकार के क्रियाकलापों के लिए जो कि प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, से

§च§ कभी-कभार लगने वाले मेले अथवा प्रदर्शनी में प्रदर्शित किसी उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं की उस मेले अथवा प्रदर्शनी के समाप्त होने पर बिक्री;

§छ§ उप-पैराग्राफ §क§ से §च§ में उल्लिखित कार्यकलापों के संयोजन के लिए मात्र व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ।

4· पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के एजेन्ट से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य करता है तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थायी संस्थापन माना जाएगा, यदि

§क§ वह उस राज्य में उस उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार रखता हो और आभ्यासिक रूप से उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं के क्रय तक ही सीमित न हो;

§ख§ उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार न हो परन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में माल अथवा पण्य-वस्तुओं का आभ्यासिक रूप से ऐसा स्टॉक रखता हो जिसमें से वह व्यक्ति उस उद्यम की ओर से नियमित माल अथवा पण्य-वस्तुओं की डिलीवरी करता हो; अथवा

§ग§ वह प्रथमोल्लिखित राज्य में पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम के लिए अथवा उस उद्यम तथा अन्य उद्यमों के लिए आभ्यासिक रूप से आदेश प्राप्त करता हो जो उस उद्यम को नियंत्रित करते हों अथवा उससे नियंत्रित होते हों अथवा उसी प्रकार के सामान्य नियंत्रण में आते हों जिसमें कि वह उद्यम आता है ।

5· एक संविदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेन्ट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों ।

6· यदि कोई कम्पनी जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है जो कि दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में §चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा§ कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी एक कम्पनी को स्वतः दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1· एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (जिसमें वानिकी से आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2· "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत उसका अर्थ है, जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में, किसी भी हालत में ये शामिल होंगे-अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर मछली पकड़ने के सभी प्रकार के स्थल, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भंडार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार । जलयान, नौकाएं और विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे ।

3· पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्येक उपयोग जो किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे ।

4· पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद-7

कारोबार से लाभ

1· एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुआ माना जाएगा ।

2· पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण ये लाभ हुए माने जाएंगे, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वहां एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन

3• किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही ये उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा ये उस राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा कराधान कानूनों की सीमाओं के अध्यधीन किए गए हों ।

4• कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं ।

5• पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों ।

6• जहां लाभों में आय की ऐसी मदें भी शामिल हों, जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी तथा वायु परिवहन

1• किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा विमानों के परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2• इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों का अर्थ है - पैराग्राफ 1 में निहित किसी उद्यम द्वारा जलयानों अथवा वायुयानों के मालिकों या पट्टेदारों अथवा चार्टररों द्वारा क्रमशः जलयान अथवा वायुयान द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल के परिवहन से प्राप्त लाभ, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री ;

(ख) ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित अन्य कार्यकलाप; और

(ग) जलयानों अथवा वायुयानों को किराये पर देना जो ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित किसी कार्यकलाप के लिए आनुषंगिक है ।

3• पैराग्राफ 1 में निहित किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयान के परिचालन से संबंधित उसके उपयोग, रख-रखाव अथवा किराये के आधानों (ट्रेलर्स, बर्गेज तथा आधानों के परिवहन से सम्बद्ध उपस्कर सहित) से प्राप्त लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा और ऐसे ब्याज के संबंध में अनुच्छेद 11 (ब्याज) के उपबंध लागू नहीं होंगे

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के लाभों को सम्मिलित करता है जो प्रथमोक्त राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें इस तरह की होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गयी होती, तब दूसरा राज्य उन लाभों में वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में, इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता, लाभांश का हिताधिकारी-स्वामी है, तो इस प्रकार प्रभारित कर लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभों का भुगतान किया जाता है ।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों, "जेयोसेन्स" शेयरों अथवा "जेयोसेन्स" राइट्स, प्रवर्तक के शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारिता के ऋण-दावे नहीं हों और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में तथा निवेश-निधि और निवेश-न्यास से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है ।

4. एक संविदाकारी राज्य की कोई कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य में वहां स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाती हो, उसके लाभों पर अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कर लगाने के बाद, उसकी बकाया राशि पर, उस संविदाकारी राज्य में जहां स्थायी संस्थापन स्थित हो, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांश का हितभागी-स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार करता है जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से निवासी है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होनें वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है तथा यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी-स्वामी हो, तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

(क) ब्याज की सकल राशि का 10 प्रतिशत, यदि ऐसा ब्याज किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान द्वारा मंजूर किए गए किसी भी प्रकार के ऋण पर अदा किया जाता है ; और

(ख) अन्य सभी मामलों में सकल राशि का 15 प्रतिशत ।

3. पैराग्राफ 2 के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो और उनके हितभागी स्वामित्व में हो

(क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण ; अथवा

(ख) दूसरे संविदाकारी राज्य का सैन्ट्रल बैंक ; अथवा

(ग) तुर्की का निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) तथा भारत का निर्यात- आयात बैंक ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है- प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों से संबंधित प्रीमियम शामिल हों तथा उधार दी गयी मुद्रा से प्राप्त अन्य आय को ब्याज के रूप में माना जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे ।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है और ऐसा ब्याज ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तब ऐसा ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित हो ।

7. जहां, ब्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गयी ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद -12

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गयी रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा परन्तु यदि रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का प्राप्तकर्ता हितभागी-स्वामी हो, तो इस प्रकार प्रभारित कर रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टी" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी कापीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, जिनमें सिनेमा-फिल्में, टेलीविजन के संबंध में उपयोग में आने वाली फिल्में अथवा वीडियो टेपें अथवा रेडियो प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल के लिए टेपें भी शामिल हैं, कोई पैटेन्ट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है ।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद में प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदायी स्वरूप की सेवाओं के लिए जिसमें तकनीकी सेवाओं अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, प्रतिफल के रूप में अदायगियां करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की जाने वाली अदायगियों से भिन्न किसी व्यक्ति को की जाने वाली किसी किस्म की अदायगियों से अभिप्रेत है ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति अथवा संविदा के संबंध में रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हैं । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे ।

6. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब रायल्टी और फीस अदा करने वाला स्वयं वह राज्य उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाला व्यक्ति का चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से संबंधित अधिकार, सम्पत्ति अथवा करार प्रभावी रूप से संबंधित है और ऐसी रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित हो ।

7. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, इसके उपयोग, अधिकार तथा सूचना अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, जिसके लिए इसकी अदायगी की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध न होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच सहमति हुई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के फीस के संबंध में अदा की गयी रकम का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा।

अनुच्छेद -13

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल-सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम का पंजीकृत कार्यालय स्थित हो ।

4. किसी ऐसी कंपनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिस की सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

5. किसी ऐसी कंपनी के, पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न, शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

6. पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न, किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है । तथापि, पूर्ववर्ती वाक्य में उल्लिखित तथा दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त पूंजीगत अभिलाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा यदि प्राप्त करने और अन्तरण करने के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक न हो ।

अनुच्छेद -14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उस राज्य में कराधेय होगी :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संगत "पिछले वर्ष" अथवा "आय के वर्ष" में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा उससे अधिक हों, तो यथास्थिति के अनुसार उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती हो ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतः स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं ।

अनुच्छेद -15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19 तथा 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, बशर्ते कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा : यदि :

(क) "प्राप्तकर्ता" तुर्की के मामले में संबंधित कैलेण्डर वर्ष के दौरान ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में रहा हो, जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक न हो तथा जो भारत के मामले में संबंधित वित्त वर्ष में 183 दिनों तक मौजूद रहा हो ; और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से चुकाया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के संबंध में नियोजक द्वारा कोई पारिश्रमिक वहन नहीं किया जायेगा जो उसका दूसरे राज्य में स्थित है ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित पोत अथवा विमान पर दिये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम का पंजीकृत कार्यालय हो ।

अनुच्छेद -16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियाँ, जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कंपनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक-मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो , उन पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

अनुच्छेद -17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत से किए गये वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किये जाते हैं ।

3. एक संविदाकारी राज्य में कलाकारों अथवा खिलाड़ियों द्वारा किए गए कार्यकलापों से प्राप्त आय पर पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य में दौरा करने के बाद दूसरे संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों अथवा राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः पर्याप्त रूप से समर्पित हो । ऐसी परिस्थितियों में ऐसी आय केवल अन्य राज्य में ही कराधेय होगी ।

अनुच्छेद -18

गैर-सरकारी पैंशन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा उसके पिछले नियोजन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखित किसी पैंशन से भिन्न किसी पैंशन अथवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लग सकेगा । यह उपबंध संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त जीवन वार्षिकियों पर भी लागू होगा ।

2. एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटनाओं का बीमा करने के संबंध में अदा की गई पैंशनों और जीवन वार्षिकियों और अन्य आवधिक अथवा प्रासंगिक अदायगियों पर केवल उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

3. "पैंशन" पद से पिछले नियोजन के लिए प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुई क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली आवधिक अदायगी अभिप्रेत है ।

4. "वार्षिकी" पद से जीवन-काल में अथवा किसी विनिर्दिष्ट अथवा अभिनिश्चित समयावधि के दौरान धनराशि अथवा उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल की अदायगी करने के दायित्व के अंतर्गत आवधिक रूप मे निश्चित समय पर अदायगी योग्य एक निश्चित राशि अभिप्रेत है ।

अनुच्छेद -19

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन

1. §क§ किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए, पेंशन से भिन्न, पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा ।

§ख§ तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यष्टि उस राज्य का निवासी है, जो

§i§ उस राज्य का एक राष्ट्रिक है; अथवा

§ii§ प्रथमोल्लिखित राज्य का राष्ट्रिक न होने के नाते, मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. §क§ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित कोष द्वारा उसमें से किसी व्यष्टि को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा ।

§ख§ तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल तब लग सकेगा यदि व्यष्टि उस अन्य राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15,16 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

अध्यापक और विद्यार्थी

ऐसे किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो किसी संविदाकारी राज्य का एक राष्ट्रिक है और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित रहता है, अपने भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन से आय प्राप्त करता है, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि ऐसी प्राप्तियां उस दूसरे राज्य के बाहर के स्रोतों से उद्भूत होती हैं ।

2. इसी प्रकार, किसी अध्यापक अथवा किसी प्रशिक्षक द्वारा जो किसी संविदाकारी राज्य का एक राष्ट्रिक है और जो अध्यापन करने अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान करने के प्रमुख प्रयोजन के लिए ( ) अवधि अथवा अवधियों के लिए जो दो वर्षों से अधिक न हो, अध्यापन अथवा अनुसंधान के लिए वैयक्तिक सेवाओं से होने वाले पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि ऐसी प्राप्तियां उस दूसरे राज्य के बाहर स्रोतों से उद्भूत होती हैं ।

3. ऐसे पारिश्रमिक पर, जिसे कोई विद्यार्थी अथवा कोई प्रशिक्षार्थी जो किसी संविदाकारी राज्य में एक राष्ट्रिक है, अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के संबंध में व्यवहार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए, तुर्की के मामले में, किसी कैलेण्डर वर्ष में 183 दिनों से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए और भारत के मामले में, किसी वित्तीय वर्ष में 183 दिनों की अवधि के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी नियोजन से प्राप्त करता है, उस दूसरे राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 21

अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्यधीन, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से करोबार करता है और ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति, जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है, उस दूसरे राज्य में भी कर लग सकेगा ।

अनुच्छेद - 22

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून, संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान के मामलों में लागू रहेंगे, सिवाय ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पर इस करार में उनके विपरीत कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है ।

2. §क§ जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अुनसार तुर्की में कर लगेगा, वहां भारत, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती के द्वारा उस निवासी की आय पर तुर्की में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर, कर से कटौती की अनुमति देगा । दोनों मामलों में, ऐसी कटौती की रकम, आयकर §कटौती दिए जाने से पूर्व यथासंगणित§ के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो कि ऐसी आय के कारण हो जिस पर तुर्की में कर लगाया जा सकता है ।

§ख§ जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार केवल तुर्की में कर लगेगा, वहां भारत उस आय को कर-आधार में शामिल कर सकता है, परन्तु आयकर के उस भाग को, जो तुर्की से प्राप्त की गई आय के कारण बनता है, आयकर से कटौती के रूप में अनुमति देगा ।

3. तुर्की के निवासियों के लिए दोहरे कराधान का अपाकरण निम्न प्रकार से होगा :-

§क§ जहां तुर्की का कोई निवासी, उप-पैरा §ख§ में आने वाली आय को छोड़कर, ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगेगा, वहां तुर्की, ऐसी आय को कर से छूट देगा, लेकिन उस व्यक्ति की शेष आय पर कर की रकम की संगणना करने में कर की वह दर लागू कर सकेगा जो यदि ऐसी छूट प्राप्त आय को छूट प्रदान नहीं की गई है, लागू होती ;

(ख) जहां तुर्की का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के अनुच्छेद 10, 11, 12 और अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 6 के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगेगा, वहां तुर्की, उस व्यक्ति की आय पर भारत में प्रदत्त कर की रकम के बराबर रकम पर कर से कटौती के रूप में अनुमति देगा ।

तथापि, ऐसी कटौतियाँ, कटौतियाँ दिए जाने से पूर्व संगणित आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो उस आय के लिए उपयुक्त है, जिस पर भारत में कर लग सकेगा ।

अनुच्छेद - 23

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया जाएगा, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों को वैसी ही परिस्थितियों में, वैसे ही उपबंधों के अधीन लगाए जाने वाले कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हों।

2. अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 4 के उपबंधों के अध्यधीन, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन को, उस दूसरे राज्य में, ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के, वैसी ही परिस्थितियों में और उपबंधों के अधीन वैसे ही कार्य में संलग्न उद्यम को लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इस करार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के विरोध में नहीं होने के नाते, इससे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी-संस्थापन के लाभों पर, कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के उसी प्रकार के लाभों पर लगाई जाती है ।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूँजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में वैसी ही परिस्थितियों अथवा वैसी ही शर्तों के अधीन ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है

4. इन उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि अन्य संविदाकारी राज्य के निवासियों को कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूटें, राहतें और कटौतियां मंजूर करे जो वह अपने निवासियों को मंजूर करता है ।

अनुच्छेद - 24

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का (दस्तावेजों सहित) आदान-प्रदान करेंगे, जो इस करार के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो ताकि विशेष रूप से ऐसे करों की धोखाधड़ी अथवा अपवंचन को रोका जा सके । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार कि उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है । तथापि, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सूचना को मूलतः गुप्त समझा जाता है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से सम्बद्ध हों, जिन पर यह करार लागू होता है, ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे परन्तु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे । सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करेंगे जिनके बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा, जिनमें जहां-कहीं उपयुक्त हो, कर-अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है ।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :-

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;

(ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जिसमें कोई व्यापारिक, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा ऐसी सूचना जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल है।

अनुच्छेद - 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1- जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो कि इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है जो वह, उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं समुचित हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निर्धारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा इस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई समय-सीमा अथवा क्रियाविधि संबंधी सीमा निर्धारण क्यों न हो बशर्ते कि दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को यह अधिसूचना प्राप्त हो गई हो कि ऐसा कोई मामला इस कराधेय वर्ष के अंत से पांच वर्षों के भीतर उपस्थित हो जिससे यह मामला संबंधित है ।

3. यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयाँ अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । यह उन मामलों में भी विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है ।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैराग्राफों को ध्यान में रखकर समझौते पर पहुंचने के लिए एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उपयुक्त हो, तो ऐसे आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 26

राजनयिक और कांसुली अधिकारी

इस करार की किसी भी बात से राजनयिक अथवा कांसुली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद -27

प्रवर्तन

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपेक्षित पद्धतियों को पूरा करने के बारे में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा । यह करार इन अधिसूचनाओं के बाद प्राप्त हुए अनुवर्ती मास के प्रथम दिन को लागू होगा ।

2. इसके उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे :-

(क) भारत में, करों के लिए उन्नीस सौ चौरानबे वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में ;

(ख) तुर्की में, करों के लिए उन्नीस सौ चौरानबे वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक कराधेय वर्ष के संबंध में ।

अनुच्छेद -28

समापन

यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता है । दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने से पांच वर्षो की अवधि समाप्त होने के बाद आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छः मास पूर्व, राजनयिक माध्यमों से इसकी समाप्ति का नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में, यह करार निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा :-

(क) भारत में, करों के लिए जिस कैलेण्डर वर्ष में करार के समापन की सूचना दी जाती है, उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में ;

(ख) तुर्की में, करों के लिए जिस कैलेण्डर वर्ष में करार के समापन की सूचना दी जाती है, उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक कराधेय वर्ष के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से संबंधित दोनों सरकारों द्वारा प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ पंचानबें के जनवरी माह के इकतीसवें दिन हिन्दी, तुर्की और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया । सभी तीनों पाठ प्रामाणिक हैं । इन पाठों के बीच भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

मनमोहन सिंह
(मनमोहन सिंह)
वित्त मंत्री

तुर्की गणराज्य की
सरकार की ओर से

(बेकिर सामी डाचे)
राज्य मंत्री

अधिसूचना सं0: 10264 दिनांक
फा.सं. 503/1/87-बि.क. प्रभाग

एन. पी. साहनी
(एन. पी. साहनी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रोतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और तुर्की गणराज्य के बीच आज इस करार पर हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरियों ने यह सहमति व्यक्त की है कि निम्नलिखित उपबंध इस करार के अभिन्न अंग होंगे :

1. **अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ §ग§ के संबंध में :**

"कर" पद में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो कि उन करों से संबंधित किसी चूक अथवा गलती के संबंध में देय है जिस पर यह करार लागू होता है अथवा जो अर्थ-दण्ड की राशि है ।

2. **अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ §ञ§ के परन्तुक के संबंध में :**

यह समझा जाता है कि उसमें शामिल किसी उद्यम पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा न कि अनुच्छेद 12 §रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसें§ और अनुच्छेद 14 §स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं§ के उपबंधों के अनुसार ।

3. **अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के संबंध में :**

यह समझा जाता है कि जहां किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन होता है और, वह उद्यम -

§क§ उस दूसरे राज्य में माल अथवा उसी प्रकार की पण्य-वस्तुओं अथवा इसी प्रकार की वस्तुओं की बिक्री में प्रभाव रखता है जैसे कि वे उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से बेची गई हैं ; अथवा

§ख§ उस दूसरे राज्य में वैसे ही अथवा उसी प्रकार के

§क§ समायोजित कुल आय के 5 प्रतिशत की रकम के बराबर कोई रकम ; अथवा

§ख§ प्रधान कार्यालय के औसत खर्चे के बराबर कोई रकम ; अथवा

§ग§ प्रधान कार्यालय पर उपगत व्यय के स्वरूप में ऐसे व्यय की रकम जो भारत में स्थायी संस्थापन के कारोबार के कारण है । ऐसे किसी मामले में जहां समायोजित कुल आय हानि की स्थिति में है, तो ऊपर खण्ड §क§ के अंतर्गत रकम को औसत समायोजित कुल आय के 5 प्रतिशत की दर पर संगणित किया जाएगा ।

"समायोजित कुल आय", "औसत समायोजित कुल आय", "प्रधान कार्यालय के औसत खर्चे" और "प्रधान कार्यालय का व्यय" का वही अर्थ होगा जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित है ।

5. **अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में:**

यह समझा जाता है कि अभिव्यक्ति "उन्हीं परिस्थितियों में" करदाता §व्यष्टियों, विधिक व्यक्तियों, भागीदारियों और संघों§ का उल्लेख किया गया है जिसे उन्हीं परिस्थितियों में विधि और वस्तुतः दोनों ही परिस्थितियों में साधारण कराधान कानूनों और विनियमों के लागू करने की दृष्टि से रखा गया है ।

अन्य चीजों के साथ-साथ इसका अर्थ यह है कि दोनों राज्यों का कोई राष्ट्रिक जो किसी तृतीय राज्य का निवासी है और जो दूसरे राज्य में कारोबार कर रहा है तो उस दूसरे राज्य में उन्हीं कराधान अथवा उससे संबंधित अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा जिसके लिए उस दूसरे राज्य का कोई राष्ट्रिक जो किसी तृतीय राज्य का निवासी है और उस दूसरे राज्य में कारोबार कर रहा है, अध्यधीन है अथवा अध्यधीन हो सकता है ।

6. यह समझा जाता है कि इस करार के उपबंध, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा कृषि संबंधी कार्यकलापों से प्राप्त आय के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में लागू नहीं होंगे ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से संबंधित दोनों सरकारों द्वारा प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ पंचानबे के जनवरी माह के इकतीसवें दिन हिन्दी, तुर्की और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया । सभी तीनों पाठ प्रामाणिक हैं । इन पाठों के बीच भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

तुर्की गणराज्य की
सरकार की ओर से

मनमोहन सिंह
(मनमोहन सिंह)
वित्त मंत्री

(बेकिर सामी डाचे)
राज्य मंत्री

अधिसूचना सं0: 10264
फा.सं. 503/1/87-वि.क.प्रभाग

दिनांक: 3/2/97

एन.पी. साहनी
(एन.पी. साहनी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार